

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3022

गुरुवार, 21 दिसंबर 2023/30 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

नागरिक उड्डयन क्षेत्र में डेटा सुरक्षा

3022. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार डेटा उल्लंघनों और साइबर हमलों की भविष्यवाणी करने और उनसे बचने के लिए बड़े डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करने का प्रस्ताव रखती है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (घ) नागरिक उड्डयन उद्योग में डेटा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डॉ.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

- (क) से (ग): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), साइबर खतरों के पूर्वानुमान और विश्लेषण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करके साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिग डेटा आधारित सुरक्षा उपकरण प्रणाली लागू कर रहा है।
- (घ): देश के विमानन सुरक्षा विनियामक अर्थात् नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) ने साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) तैयार की है, जो साइबर घटनाओं के परिदृश्यों और साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। पहचानी गई भेद्यताओं को दूर करने और निवारक उपायों को सुनिश्चित करने के लिए, बीसीएस ने "भारत के विमानन क्षेत्र में संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश" विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 'साइबर हमले से सुरक्षा' विषय शामिल है।
